कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), सलूम्बर

क्रमांकः सहायता/बाढ/2025/ 538

दिनांक 18.09.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनबाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी लसाडिया के पत्रांक 1382 दिनांक 13.08.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(23) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज पत्रांक 17784817 जयपुर दिनांक 16.09.2025 के क्रम में कार्यालय पंचायत समिति लसाडिया तह. लसाडिया के 17 कार्य हेतु राशि रूपये 42.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :– ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्मपति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति/ विद्यालय भवन का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखो में लाखों में
1	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन खालसा	2.5	2.5
2	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
3	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
4	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन मामादेव	2.5	2.5
5	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
6	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन राजा वासक	2.5	2.5
7	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
8	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
9	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन कालीभीत	2.5	2.5
10	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन कालीभीत	2.5	2.5
11	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन कालीभीत	2.5	2.5

12	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन कालीभीत	2.5	2.5
13	लसाडिया	भवन	सामुदायिक भवन मानपुरियों का गुडा	2.5	2.5
14	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
15	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
16	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5
17	लसाडिया	भवन	पुराना पंचायत भवन	2.5	2.5

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।

4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।

5. ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराऐं जा सकेंगें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्षा 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपति के कारण राहत
02– बाढ़ चक्रवात आदि।
107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्त तथा पुनः स्थापना
(02)– (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्त)
(01)– (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्त)
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

अवधेश मीना
जिला कलक्टर,
सलूम्बर

क्रमांकः सहायता / बाढ / 2025 /

दिनांक 18.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय उदयपुर,सम्भाग उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सलूम्बर।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति , लसाडिया
6. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर,
सलूम्बर

कार्यालय पंचायत समिति–लसाड़िया जिला–सलुम्बर(राज.)

दिनांक : 08.10.2025

क्रमांक : पंसल / निर्माण / 2025–26 /

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
जिला कलेक्टर सलुम्बर।

विषय : –तात्कालिन मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो के वित्तिय स्वीकृति हेतू तकमीने प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **तात्कालिन मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) योजनान्तर्गत** श्रीमान् द्वारा जारी निम्न प्रशासनिक स्वीकृति के निर्माण कार्य हेतू कार्य का विस्तृत तकमीना राज्य सरकार द्वारा तय मापदण्ड अनुसार तैयार कर वित्तीय स्वीकृति हेतू मूल ही सलंग्न कर आप श्रीमान् को सादर प्रेषित हैं।

क्रं. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	तकनीकी स्वीकृति की राशि				प्रा0 स्वी0	तक0 स्वी0 नम्बर
			योजना	श्रम	सामग्री	योग		
1	पुराना पंचायत भवन	टटाकिया	SDRF	0.81	1.63	2.44	538/18-09-2025	342/08-10-2025
2	सामुदायिक भवन राजा वासक	बलीचा	SDRF	0.55	1.15	1.70	538/18-09-2025	343/08-10-2025
3	सामुदायिक भवन खालसा	धामनिया	SDRF	0.79	1.71	2.50	538/18-09-2025	344/08-10-2025
4	पुराना पंचायत भवन	धामनिया	SDRF	0.79	1.71	2.50	538/18-09-2025	345/08-10-2025
5	सामुदायिक भवन मामादेव	घाटा	SDRF	0.58	1.12	1.70	538/18-09-2025	346/08-10-2025
6	सामुदायिक भवन भाणावतपुरा	कालीभीत	SDRF	0.55	1.15	1.70	538/18-09-2025	347/08-10-2025
7	सामुदायिक भवन कालीभीत	कालीभीत	SDRF	0.55	1.15	1.70	538/18-09-2025	348/08-10-2025
8	सामुदायिक भवन मनावतपुरा	कालीभीत	SDRF	0.53	1.08	1.61	538/18-09-2025	349/08-10-2025
9	पुराना पंचायत भवन मानपुरियों का गुडा	मानपुरियो का गुडा	SDRF	0.88	1.62	2.50	538/18-09-2025	350/08-10-2025
10	पुराना पंचायत भवन धावडी	धावडी	SDRF	0.81	1.63	2.44	538/18-09-2025	351/08-10-2025
11	पुराना पंचायत भवन देवलिया	देवलिया	SDRF	0.89	1.61	2.50	538/18-09-2025	352/08-10-2025
12	पुराना पंचायत भवन अग्गड	अग्गड	SDRF	0.89	1.61	2.50	538/18-09-2025	354/08-10-2025
13	पुराना पंचायत भवन बलीचा	बलीचा	SDRF	0.95	1.55	2.50	538/18-09-2025	355/08-10-2025
14	पुराना पंचायत भवन खजूरी	खजूरी	SDRF	0.79	1.68	2.47	538/18-09-2025	487/08-10-2025
15	सामुदायिक भवन मानपुरियों का गुडा	मानपुरियो का गुडा	SDRF	0.57	1.21	1.78	538/18-09-2025	488/08-10-2025

अतः उक्त कार्य की वित्तिय स्वीकृति जारी करने की कृपा करावें।
सलंग्न :– उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना।

(मांगुसिंह मीणा)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति–लसाड़िया

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangu Singh Mee
Designation : Assistant Development Officer
Date: 2025.10.09 12:57:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18233345
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

जयपुर, दिनांक

क्रमांकः– एफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 57/2025–26</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं
पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. **<u>विद्यालय भवन हेतुः–</u>**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक
अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक
13.08.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, लसाडिया तह. लसाडिया के 131
कार्यो हेतु राशि रूपयें 262.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झल्लारा तह. झल्लारा
के 45 कार्यो हेतु राशि रूपयें 90.00 लाख, **कुल 176 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 352.00 लाख (अक्षरे
रूपये तीन करोड़ बावन लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से
स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

2. **<u>चिकित्सा भवन हेतुः–</u>**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक
अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक
13.08.2025 के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया तह. लसाडिया के 02 कार्यो हेतु राशि रूपयें
4.00 लाख **कुल 02 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 4.00 लाख (अक्षरे रूपये चार लाख रूपये मात्र)** की
तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा
प्रदान की जाती हैः–

3. **<u>आंगनबाडी भवनों हेतुः–</u>**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाडी भवनो** की
तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495
दिनांक 13.08.2025 के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग, तह. लसाडिया के 34 कार्यो हेतु
राशि रूपयें 85.00 लाख एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, तह. झल्लारा के 18 कार्यो हेतु राशि रूपयें
45.00 लाख **कुल 52 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 130.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ तीस
लाख रूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के
अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17784817
eSign 1.0

4. <u>पंचायत/राजकीय भवनों हेतुः–</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **पंचायत/राजकीय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर पंचायत समिति लसाडिया, तह. लसाडिया के 17 कार्यो हेतु राशि रूपयें 42.50 लाख **कुल 17 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 42.50 लाख (अक्षरे रूपये बयालिस लाख पचास हजार रूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

कुल 176 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 352.00 लाख एवं कुल 02 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख, कुल 52 आंगनबाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 130.00 लाख एवं कुल 17 पंचायत/राजकीय भवनों हेतु राशि रूपयें 42.50 लाख कुल 247 कार्यो हेतु राशि रूपयें 528.50 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17784817

eSign 1.0

11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17784817

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, **सलूम्बर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी झल्लारा, तह. झल्लारा के चिकित्सा भवनों के प्राप्त प्रस्तावों में उप स्वास्थ्य केन्दों की मांग की गई है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

    पंचायत समिति लसाडिया, तह. लसाडिया के प्रस्तावों में क्र.सं. 07 में विश्राम घर एवं क्र. सं 19 में ग्राम सेवा क्वाटर हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

    पंचायत समिति झल्लारा तह. झल्लारा के राजकीय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में विश्रांति ग्रह, खाद्यान भण्डार, बस स्टेण्ड मरम्मत आदि हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। अतः उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए नोर्म्स अनुसार संशोधित कर प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करे।

    स्वच्छ परियोजना लसाडिया तह. लसाडिया के मॉ–बाडी भवन मरम्मत के प्रस्तावों में विश्रांति ग्रह, खाद्यान भण्डार, बस स्टेण्ड मरम्मत आदि हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

    अ.वि.वि.एन.एल. लसाडिया तह. लसाडिया विद्युत परिसम्पत्तियों की मरम्मत के कार्य नोर्म्स अनुसार जो विभाग अपने स्वयं के राजस्व का अर्जन करते है, और अपने स्वयं के धन/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य भी करते है, को नोर्म्स अनुसार स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

    जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लसाडिया तह. लसाडियाके कुंए की मरम्मत के प्रस्ताव में नोर्म्स से अधिक राशि की मांग की गयी है। नोर्म्स अनुसार कुंओं की सफाई कार्य हेतु राशि रू. 10,000/– ही अनुमत है। कुंए की मरम्मत किया जाना अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।
8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, सलूम्बर।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17784817

eSign 1.0